

26/5  
25

पत्रावली पेश । वकील वादी हाजिर ।  
पत्रावली में पूर्व में भी वकील वादी को  
अंतिम विदायत की गई थी कि आगामी

पेशी पर तामिल की रसीदें पेश करे,  
अन्यथा आदेश ७ नियम ५ के तहत  
आदेश पारित किया जाएगा लेकिन वकील  
वादी से आज दिनांक तक तामिल की  
रसीदें पेश नहीं की। अतः वादी का  
वादा आदेश ७ नियम ५ के तहत खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फैसल नुमार  
होकर नुम्बर से कम होकर दाखिल  
दफ्तर हो।

**उपसचिव अधिकारी**  
दांतारामगढ़ (सीकर)